समाहरणालय मधेपुरा

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 31-03-2014

16 वीं लोकसभा चुनाव से संबंधित जिले में चल रहे कार्यक्रम एवं अभियान

नाम निर्देशन से संबंधित दिशा-निर्देश :-

- जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा आज समाहरणालय के सभागार में सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों /सचिवों की बैठक आहूत की गयी, जिसमें जद यू0, राजद, भाजपा, बसपा, सी0पी0आई0, सी0पी0एम0 सभी दलों के प्रतिनिधियों ने शिरकत की।
- आज की बैठक नाम-निर्देशन से संबंधित फार्म 2 A तथा शपथ-पत्र फॉर्म 26 से संबंधित थी। सभी प्रकार के दिशा-निर्देशों से तथा चुनाव आयोग के नाम निर्देशन से संबंधित आदेशों से सभी पार्टियों को अवगत कराया गया। नाम-निर्देशन की अवधि दिनांक 02-04-2014 से 09-04-2014 तक रहेगी। सभी उम्मीदवारों को नाम-निर्देशन हेतु फार्म भरने, शपथ-पत्र दाखिल करने के संबंध में विशेष निर्देश जारी किये गये। 25000/- रूपये प्रति सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी एवं 12500/- रूपये प्रति अनुसूचित जाति /जनजाति के अभ्यर्थियों को अपनी उम्मीदवारी हेतु जिला निर्वाची पदाधिकारी के यहाँ जमा कराना आवश्यक होगा। सभी उम्मीदवारों को नामांकन वापिस लेने हेतु दिनांक 12-04-2014 की तिथि निर्धारित की गयी है। सभी राजनीतिक पार्टियों को नाम निर्देशन के समय अत्यधिक सावधानी बरतने हेतु कहा गया। सभी शपथ पत्र भरकर लाये जायेंगे परन्तु उनपर उम्मीदवार का हस्ताक्षर निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष करना होगा। शपथ पत्र का कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ा जाना है, जो लागू ना हो वहाँ NIL या NOT APPLICABLE आदि भरने का निर्देश दिया गया। नामांकन प्रपत्र के साथ कुल 06 अद्यतन रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो जमा करना होगा। नामांकन प्रपत्र 2 A पर उम्मीदवार एवं प्रस्तावक का हस्ताक्षर आवश्यक है। नाम-निर्देशन हेतु मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल से संबंधित उम्मीदवारों को एक प्रस्तावक तथा अन्य उम्मीदवारों हेतु कुल 10 प्रस्तावक प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- नामांकन प्रत्येक कार्य दिवस को अवकाश तिथियों को छोड़कर 11:00 बजे पूर्वाह्न से 03:00 अपराह्न तक समाहरणालय में निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष में जमा किया जा सकेगा, जो अभ्यर्थी हेतु अर्हता होगी, पस्तावक हेतु भी वही अर्हता मान्य होगी।
- सभी राजनीतिक दलों को नामांकन के समय चुनाव आयोग के निर्देशों, जिला प्रशासन के धारा-144 के आदेशों तथा आदर्श आचार-संहिता का अक्षरशः पालन करना अनिवार्य होगा। नामांकन के समय उम्मीदवार एवं प्रस्तावक सहित कुल 5 व्यक्ति की निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष समाहरणालय में आने की छूट होगी। साथ ही आचार संहिता के अनुपालन में केवल तीन गाड़ियों को समाहरणालय मधेपुरा के मुख्य द्वार तक आने का आदेश होगा। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, पोस्टर बैनर, लाउडस्पीकर, जुलूस जलसा आदि के साथ नामांकन स्थल पर जाने की सख्त मनाही संबंधित आदेश दिया गया। उम्मीदवारों को चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित खर्च एवं व्यय से संबंधित निर्देश भी विस्तार से समझाया गया। सभी उम्मीदवारों को कुल चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा 70 लाख रूपये से संबंधित निर्देशों को बताते हुए समझाया गया कि उन्हें चुनावी खर्च का पूर्ण ब्यौरा मतगणना समाप्ति के 30 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन पदाधिकारी को सौंप देना है। सभी अभ्यर्थी अपने-अपने चुनावी खर्चों से संबंधित पंजी /रजिस्टर खोल लेंगे तथा राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा डाकघर में इसी निमित्त एक नया बैंक खाता खोलेंगे। यह खाता अभ्यर्थी अथवा उसके चुनावी अभिकर्त्ता के संयुक्त खाते

के रूप में भी मान्य होगा। अभ्यर्थियों को सभी तरह के खर्चों की वाउचर रखनी होगी तथा सरकारी एवं डी0ए0भी0पी0 /डी0आई0पी0आर0 एवं अन्य तरह के प्राइस लिस्ट भी उन्हें सौंपे गये हैं। हेलीकॉप्टर से संबंधित सुरक्षा हेतु निर्धारित राशि उन्हें पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में जमा करानी होगी जिसके साथ उसकी बैरिकेडिंग का खर्च भी उसका उपयोग करने वाले पार्टी /उम्मीदवार को वहन करना होगा। स्टार प्रचारक से संबंधित व्यय पर प्रकाश डालते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि स्टार प्रचारक का खर्च पार्टी के खर्च में शामिल होगा परन्तु यदि स्टार प्रचारक स्वयं उम्मीदवार हो तो उम्मीदवार के रूप में उनका खर्च उस चुनाव क्षेत्र अथवा उम्मीदवार के खर्च में जुटेगा।

- उम्मीदवारों को अपना सोशल मीडिया संबंधी जानकारी भी शपथ पत्र में डालना होगा, जिसमें उनके ई–मेल एकाउंट, फेसबुक, याहू मैसेन्जर, यू–ट्यूब, ट्विट्र आदि पर या बल्क एस0एम0एस0 द्वारा प्रचार किये जाने का खर्च भी उनके खाते में जुटेगा तथा यह पेड न्यूज की श्रेणी में आयेगा अथवा एम0सी0एम0सी0 कोषांग में संबंधित न्यूज / प्रचार आदि के प्रसारण हेतु पूर्व में ही मीडिया सर्टिफिकेशन का आवेदन विहित प्रपत्र में देना भी अनिवार्य होगा।

<u>जिला कोषागार का औचक निरीक्षण</u>

- **<u>जिला कलेक्टर महोदय द्वारा कोषागार निरीक्षण के संबंध में</u>** :– माननीय जिला कलेक्टर द्वारा आज दिनांक 31–03–2014 को जिला कोषागार का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि कोषागार द्वारा, अपनी बहुचर्चित सोमवारी बैठक में दिये गये सुझाव एवं दिशा–निर्देशों का अनुपालन अक्षरशः किये जाने के फलस्वरूप आज महज 12 बिल बचे थे जिसे भी कोषागार ने तत्क्षण पास कर दिया। पूर्व में जहाँ कोषागार के पास वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस में कानून एवं व्यवस्था की समस्या तथा भारी भीड़ होती थी, आज वहाँ कर्मचारी एवं अधिकारी के पास कोई भी बिल पेंडिंग नहीं था। जिलाधिकारी ने कोषागार प्रबंधन पर संतोष एवं प्रसन्नता जाहिर की।
- जिला उत्पाद अधीक्षक द्वारा बताया गया कि आचार संहिता लागू होने के बाद से अबतक कुल 745 लीटर शराब जब्त किया गया है तथा कल 72.02 लीटर शराब उदाकिशुनगंज एवं बिहारीगंज में जब्त किया गया जिसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

31/3/14
RAJIV RANJAN
(MEDIA - CELL)

{Kindly upload Press release on the Distt website.
31/3/14